महत्वपूर्ण/अनुस्मारक

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रॉक– /रा0त0नि0का0/2018–19 दिनॉक 24.12.2018

कार्यालय आदेश

1. पुलिस अधीक्षक,अम्बेडकरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. अपर जिला अधिकारी(वित्त एवं राजस्व),अम्बेडकरनगर।
4. अपर जिला अधिकारी(न्यायिक),अम्बेडकरनगर।
5. अपर पुलिस अधीक्षक,अम्बेडकरनगर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी,अम्बेडकरनगर।
7. प्रभारी अधिकारी,संयुक्त कार्यालय,अम्बेडकरनगर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
9. जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक,अम्बेडकरनगर।
12. समस्त तहसीलदार, ,अम्बेडकरनगर।
13. अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,अम्बेडकरनगर।
14. प्रभागीय बनाधिकारी,वन प्रभाग,अम्बेडकरनगर।
15. अधिषाशी अभियन्ता,जल निगम,अम्बेडकरनगर।
16. अधिषाशी अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर,टाण्डा,जलालपुर एवं आलापुर,अम्बेडकरनगर।
17. अधिषाशी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड जनपद अम्बेडकरनगर।
18. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
19. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
20 जिला प्रोबेशन अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
21. जिला कीडाधिकारी,अम्बेडकरनगर।
22. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
23. जिला पंचायत राज अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,अम्बेडकरनगर।
25. जिला कृषि अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
26. उपनिदेशक कृषि अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
27. जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
28. जिला पूर्ति अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
29. जिला उद्यान अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
30. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
31. परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभियन्त्रण,अम्बेडकरनगर।
32. जिला युवा कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
33. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अम्बेडकरनगर।
34. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अम्बेडकरनगर।
35. अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अम्बेडकरनगर।
36. श्रम प्रर्वतन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
37. प्रबन्धक दुग्ध विकास, अम्बेडकरनगर।
38. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा),अम्बेडकरनगर।
39. जिला कार्यकम अधिकारी,परिवार कल्याण,अम्बेडकरनगर।
40. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,राजकीय चिकित्सालय,अम्बेडकरनगर।
41. ए0आर0एम0 रोडवेज अम्बेडकरनगर।

Scanned by CamScanner

42. जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
43. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
44. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,अम्बेडकरनगर।
45. जिला मनोरंजन कर अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
46. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
47. सचिव स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिषद,अम्बेडकरनगर।
48. मंत्री, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम,अम्बेडकरनगर।
49. निदेशक राजकीय इंजीनियरिग कालेज,अम्बेडकरनगर।
50. प्राचार्य, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज,अम्बेडकरनगर।
51. प्राचार्य, राजकीय कृषि इंजीनियरिग कालेज,शिवबाबा,अम्बेडकरनगर।
52. प्राचार्य, राजकीय पालीटेक्निक ,शिवबाबा,अम्बेडकरनगर।
53. कमान्डेट, नेशनल कैडेट कोर,अम्बेडकरनगर।
54. प्राचार्य, रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय,अम्बेडकरनगर।
55. प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इन्टर कालेज,अम्बेडकरनगर।
56. प्राचार्य बी0एन0के0बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बेडकरनगर।
57. प्रधानाचार्य, डायट, अम्बेडकरनगर।
58. प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, अम्बेडकरनगर।
59. प्रभारी अधिकारी, पंचस्थानीय,अम्बेडकरनगर।
60. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर।
61. बदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, अम्बेडकरनगर।
62. संयुक्त निदेशक अभियोजन, अम्बेडकरनगर।
63. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
64. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
65. निरीक्षक,यातायात,अम्बेडकरनगर।
66.जिला बचत अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
67. जिला होमगार्ड कमाण्डेण्ट अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
68. जिला सेवायोजना अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
69. उपनिदेशक मत्स,अम्बेडकरनगर।
70. आशुलिपिक,कैम्प कार्यालय,अम्बेडकरनगर।

विषयः–जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों मे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन उ0 प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या–786/तीन–18–06 (9)/18 दिनॉक 12.10.2018 एवं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0 प्र0 के पत्र संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1896 दिनांक 03/12/2018 के द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन –विपणन, आपूर्ति एवं वितरण को प्रतिबन्धित करने के लिए वर्ष 2003 मे एक अधिनियम जारी किया गया था, जिसे कोटपा अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाता है। अधिनियम के समुचित कियान्वयन हेतु जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों मे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग की पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने एवं तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यथा तम्बाकू मसाला/गुटखा/धूम्रपान इत्यादि का प्रयोग निषिद्व करते हुए शासकीय कार्यालयों /विद्यालयों/अस्पतालों के परिसरों मे अधिकारियों/कर्मचाारियों/आगन्तुकों के तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया गया है एवं दण्डात्मक प्राविधान किये गये है।

उक्त के कम मे पूर्व मे भी दिनांक 29.10.2018 को अधोस्ताक्षरी कार्यालय से पत्रांक संख्या–8636/रा0त0नि0का0/2018–19 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिसका अनुपालन नही किया गया है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से अपने कार्यालय/परिसर तम्बाकू मुक्त कराते हुए जनपद को तम्बाकू मुक्त घोषित कराने

Scanned by CamScanner

मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करें। तथा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर तम्बाकू मुक्त परिसर का घोषणा पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा ntcpambedkarnagar@gmail.com को 3 कार्य दिवसो मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः 1—तम्बाकू मुक्त घोषणा पत्र प्रारूप।

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर
तद्दिनॉकित

पत्रॉक 5635-69/रा0त0नि0का0 / 2018—19
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1 प्रमुख, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0 प्र0 शासन।
2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
3 राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर

Scanned by CamScanner

कार्यालय–

घोषणा पत्र

तम्बाकू मुक्त परिसर

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा–4 में सार्वजनिक स्थलो पर धूम्रपान करना निषेध है। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा–4 के अन्तर्गत जन सामान्य के साथ–साथ अस्पताल/कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए परिसर को ऐलो लाइन कैम्पियन के माध्यम से **"तम्बाकू मुक्त परिसर"** घोषित किया जाता है। कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर 200 रु0 तक का जुर्माना किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से–

स्थान–......................................

दिनाँक–....................................

पदनाम– ....

हस्ताक्षर

मोहर–

Scanned by CamScanner